

राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(1-66)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2012/8/9 - 107/ दिनांक : 29/1/13

परियोजना प्रबन्धक, (समस्त)  
वाटरशेड सैल कॅम्प डाटा सेंटर,  
जिला परिषद,

**विषय :- आई.डब्ल्यूएमपी. परियोजनान्तर्गत उप समिति (जलग्रहण) स्तर से व्यय राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र बाबत।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आई.डब्ल्यूएमपी. योजनान्तर्गत राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 4721-5178 दिनांक 08.03.2011 के माध्यम से उप समिति (जलग्रहण) के खाते में रिवाल्विंग फण्ड के रूप में एक बार में रु. 5.00 लाख हस्तान्तरित किये जाने एवं उक्त हस्तान्तरित राशि के 80% राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही राशि की अगली किश्त उप समिति (जलग्रहण) के खाते में हस्तान्तरित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

उप समिति (जलग्रहण) के स्तर से सम्यन्धित परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी को प्रस्तुत किये जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न कर भिजवाते हुए निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसी प्रारूप में उप समिति (जलग्रहण) स्तर से परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

  
निदेशक

क्रमांक : एफ.18(1-66)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2012/8/9 - 107/ दिनांक : 29/1/13  
प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज. जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/आई.डब्ल्यूएमपी.), निदेशालय, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
6. उपनिदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/तकनीकी एवं लाइवलिहुड/प्रशिक्षण/प्रशासन/मूल्यांकन/एमआईईएस/एनडब्ल्यूडीपी/डब्ल्यूडीटी/पशुपालन)/परियोजना अधिकारी (भू-संसाधन), निदेशालय, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता एवं पी.आई.ए., पंचायत समिति.....को पालनार्थ।
8. ए.सी.पी. निदेशालय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय वेब साइट पर अपलोड करावें।

  
निदेशक